कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल,बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक / तक.क. / 2334 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06 / 12 / 2022

प्रति,

मख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forset Conservation Act 1980 proposerd for Jio Digital Fiber Private Ltd Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest division under Chhattisgarh State area- 3.309**

सन्दर्भ :– 1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.1980) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–908A रायपुर दिनॉक 11.10.2021

2 असिस्टेन्ट वाईस प्रेसीडेन्ट (कार्पो अफेयर्स) डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ00) का पत्र कमांक / जिडिफाप्रालि / वनभूमि / व्यपवर्तन / 2021 / 10 दिनॉक 17.10.2022

विषयान्तर्गत निवेदन है कि "जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट" द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत सोनहत से रामगढ़, सोनहत से मोहरसोप, पत्थरगवां से कटगोड़ी, महेशपुर से लोटाबहरा, रोझी से शिवपुर, नेरूवा से भरतपुर, चर्चा से सोनहत, बरबसपुर से शिवपुर, चोटिया से बहेराबॉध, नागपुर से चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़ से मरवाही मार्गो के सामानान्तर वन एवं राजस्व वन भूमि में 66.180 कि.मी. सडक के किनारे राईट ऑफ वे वन भूमि का रकबा 3.107 हे. एवं राजस्व भूमि का रकबा 0.202 कुल 3.309 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण उपरान्त अग्रीम कार्यवाही करने हेतु अनशंसा सहित प्रस्ताव आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उक्त प्रस्ताव का निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार कंडिकावार विवरण निम्नानुसार है :–

बिन्दु कमांक 01 – आवेदक विभाग मांग पत्र :–

आवेदनकर्ता जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत सोनहत–रामगढ़, सोनहत–मोहरसोप, पत्थरगवां–कटगोड़ी,

महेशपुर–लोटाबहरा, रोझी–शिवपुर, नेरूवा–भरतपुर, छरछ–सोनहत, बलरामपुर–शिवपुर, चोटिया–बहेराबांध, नागपुर–चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़–मरवाही मार्गो के समानान्तर वन एवं राजस्व वन भूमि से 66.180 कि.मी. सड़क के राईट ऑफ वे (RoW) अन्तर्गत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन 1.107 हेक्टेयर, संरक्षित वन 1.400 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.202 हेक्टेयर कुल – 3.309 हेक्टेयर के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 01)**

बिन्दु कमांक 02 – प्रपत्र – 1 में रजिस्ट्रेशन कोड वर्ष पंजीयन कमांक :–

रजिस्ट्रेशन कमांक FP/CG/OFC/146529/2021 आवंटित किये गये है। ऑनलाईन एक्नॉलेजमेन्ट स्लिप की छांयाप्रति संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक 02 से 08 तक)**

बिन्दु कमांक 03 – वन क्षेत्र का विवरण :–

आवेदनकर्ता जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वनमण्डल के परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, देवगढ़, खडगवां, चिरमिरी एवं कोटाडोल मार्गो के सामानान्तर वन एवं राजस्व वन भूमि में 66.180 कि.मी. सड़क के राईट ऑफ वे (ROW) में आप्टिकल फायबर लाईन बिछाने आरक्षित वन भूमि 1.707 हेक्टेयर, संरक्षित वन 1.400 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.202 हेक्टेयर कुल 3.309 हेक्टेयर के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के विवरण की प्रति संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 09 से 12 तक)**

बिन्दु कमांक 04 – गैर वन क्षेत्र का विवरण :–

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 3.745 हेक्टेयर है, जिसके विवरण की ग्रामवार जानकारी संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 13 से 14 तक)**

बिन्दु कमांक 05 – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर :–

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:5000 स्केल पर संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक –14 A से 28 तक) भाग – 02**

बिन्दु कमांक 06 – वन क्षेत्र का इन्डैक्स मैप :–

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन क्षत्र का 1:15000 स्केल का इन्डैक्स मैप संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 29A से 47 तक)** भाग – 03

बिन्दु कमांक 07 – प्रपत्र – 04 में प्रस्ताव :–

जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत मार्गो के सामानान्तर वन एवं राजस्व वन भूमि में 66.180 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (ROW) में वन भूमि 3.107 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि का रकबा – 0.202 हेक्टेयर कुल – 3.309 हे0 क्षेत्र का चयन किया गया है, जो अपरिहार्य एवं आवश्यक है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है। अतः इसमे वृक्ष विदोहन नहीं होना है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 48 से 55 तक)**

बिन्दु कमांक 08 – प्रोजक्ट पर विस्तृत टीप :–

जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 141.080 कि0मी0 जिसमें से 66.180 कि0मी0 वनक्षेत्र आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी जिससे निर्वाद्व कनेक्टीविटी सुनिश्चित हो सकेगी। जिसका सीधा अनुसचित जनजाति के समुदाय होगा। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 56 से 57 तक)**

बिन्दु कमांक 09 – न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

प्रस्तावित वनक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है। इस संबंध में मांग की जा रही वनभूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 58)**

बिन्दु कमांक 10 – अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण एवं उनके विरूद्व की गई कार्यवाही :–

इस प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम – 1980 का उल्लंघन नही किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 59)**

बिन्दु कमांक 11 – वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा :–

भाग :– 1 जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर अंतर्गत सोनहत–रामगढ़, सोनहत मोहरसोप, पत्थरगवां–कटगोड़ी, महेशपुर से लोटाबहरा, रोझी, शिवपुर, चोटिया, बहेराबांध, नागपुर, चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़ से मरवाही मार्गों के सामानान्तर 141.080 कि0मी0 में से वन एवं राजस्व वन भूमि में 66.180 कि0मी0

सड़क के किनारे राईट ऑफ वे में वनभूमि का रकबा 3.107 हे0 एवं वन राजस्व भूमि का रकबा 0.101 हे0 कुल 3.309 हे0 वनभूमि में से गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न है।

भाग :– 2 कोरिया वनमण्डल के ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि क्रमशः आरक्षित वन – 1.707 हे0 संरक्षित वन – 1.400 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 0.202 हे0, कुल 3.309 हे0 क्षेत्र प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र में से सोनहत से रामगढ़, सोनहत से मोहरसोप, छरछा से सोनहत एवं नेरूवा से भरतपुर मार्ग अंतर्गत आरक्षित वन के 04 कक्ष क्षेत्रफल – 0.468 हे0 एवं संरक्षित वन के 11 कक्ष क्षेत्रफल – 0.727 हें0 कुल 1.195 हे0 क्षेत्र गुरूघासी दास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है। सूची संलग्न है। शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 60 से 69F एवं पृष्ठ क्रमांक 111)**

बिन्दु कमांक 12 – एतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र :–

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि के कोई एतिहासिक स्थल नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक–70)**

बिन्दु कमांक 13 – संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण – पत्र :–

आवेदित भूमि से संबंधित ग्राम – पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण – पत्र संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 71 से 107 तक)**

बिन्दु कमांक 14 – जिले की कुल वनभूमि :–

कोरिया जिले की कुल वनभूमि 498534.700 हे0 है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक–108)**

बिन्दु कमांक 15 – व0सं0अ0– 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित वन भूमि का रकबा हे0 में :–

कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणो मे प्रभावित वन भूमि का रकबा 1863.914 हे0 **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 109)**

बिन्दु कमांक 16 – व0सं0अ0 – 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकवा हे0 में :–

वन सरंक्षण अधिनियम 1980 अर्न्तगत कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल में इसी श्रेणी में 01 प्रकरण रकबा 4.746 हे0 है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक–110)**

बिन्दु कमांक 17 – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. कि परिधी में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण या हाथी कोरिडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नही है :–

प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग में से सोनहत – रामगढ़, सोनहत – मोहरसोप, छरछा सोनहत – भरतपुर मार्ग अन्तर्गत आरक्षित वन के 04 कक्ष क्षेत्रफल 0.468 हे0. एवं संरक्षित वन के कक्ष क्षेत्रफल 0.727 हे0. कुल 1.195 हे0. क्षेत्र गुरूघासी दास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की सीमा के 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक–111 से 112 तक)**

बिन्दु कमांक 18 – वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो तो प्रभावित होगा) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. – 11-9/1998 – FC दिनांक 03.08.2009 ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें :–

प्रस्तावित वन भूमि में वन अधिकार मान्यता प्रमाण – पत्र की जानकारी प्रदाय करने बावत् आवेदक विभाग द्वारा कलेक्टर जिला कोरिया को लेख किया गया है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 113 से 115 तक)**

बिन्दु कमांक 19 – राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण – पत्र :–

प्रकरण में सम्मिलित राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक/4596/कले./वाचक/2022 दिनांक 01.08.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 116 से 119 तक)**

बिन्दु कमांक 20 – पंजियन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण :–

पंजीयन शुल्क 6000 तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क रू – 29000 कुल 35000 डिमाण्ड ड्राफ क0 – 22689 दिनांक 16.11.2021 एवं 228840 दिनांक 16/11/2021 द्वारा जमा किया गया है जिसे वन मण्डल के पी.डी. खाते में चलान नं0 47 एवं 48 दिनांक 22/01/2022 द्वारा जमा कर दिया गया है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 120)**

बिन्दु कमांक 21 – राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छ0ग0 की अनुशंसा :–

ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र नही है, के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का पमाण पत्र संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 121)**

बिन्दु कमांक 22 –

I. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर वन मण्डलाधिकारीके हस्ताक्षर किये गय है। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 127 से 159 तक)**

II एवं III – DGPS सर्वे अंतर्गत निर्मित 100 प्रतिशत का सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी एवं 2 प्रतिशत मुनारों का प्रति परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा को करने के निर्देश अवर सचिव, छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग – नया रायपुर के पत्र क्रमांक / F.-20/2007/10-2 (Part) दिनांक 13.10.2021 द्वारा दिये गये है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर के पृष्ठा0 क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–718 (पार्ट) / 8129 दिनांक 28.12.2021 द्वारा दिये गये है, निर्देशानुसार छ0ग0 शासन के उक्त आदेश दिनांक 13.10.2021 को आगामी आदेश तक के लिये शिथिल किया गया। **(प्रस्ताव पृष्ठ कमांक – 160)**

सहपत्र :– **प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट – पृष्ठ क. 01 से 159**
(भाग 01 – पृष्ठ क. 01 से 14 एवं 48 से 160)
(भाग 02 – पृष्ठ क. 14A से 28 तक)
(भाग 03 – पृष्ठ क. 29A से 47 तक)

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक / तक.क. / 2335 **बैकुण्ठपुर, दिनांक 06 / 12 / 2022**
प्रतिलिपि :–

1. अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री अमन कुमार सिंह, अस्टिंट (कार्पो. अफेयर्स) जिया डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

E:\WP II\Kanchan\Sharma\DM-2021.docx